डॉ. अनुभा गुप्ता

प्रदूषित होती गंगा और गंगा सफाई अभियान

गंगा को पूजनीय नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों में इसके प्रति अगाध श्रद्धा है और इसे प्रदूषित होते देख उन्हें काफी गहरा दुःख होता है। माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने मात्र से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन आज लोग इसमें डुबकी लगाने या उसमें नहाने से भी बचने लगे हैं। क्योंकि उसका पानी नहाने योग्य भी नहीं रहा है। एक समय था जब बहती गंगा का पानी लोग सीधे ही पी जाते थे, लेकिन आज गंगा का पानी इतना गंदा, मलिन और प्रदूषित हो गया है कि उसे कंठ से लगाने में दस बार सोचना पड़ता है।

कभी गंगा की पहचान विश्वभर में एक पवित्र नदी के रूप में रही है, लेकिन आज वह विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है। गंगा को प्रदूषण की इतनी मार झेलनी पड़ रही है कि उसकी स्वच्छता और पवित्रता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है।

गंगा को पूजनीय नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों में इसके प्रति अगाध श्रद्धा है और इसे प्रदूषित होते देख उन्हें काफी गहरा दुःख होता है। माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने मात्र से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन आज लोग इसमें डुबकी लगाने या उसमें नहाने से भी बचने लगे हैं। क्योंकि उसका पानी नहाने योग्य भी नहीं रहा है।

एक समय था जब बहती गंगा का पानी लोग सीधे ही पी जाते थे, लेकिन आज गंगा का पानी इतना गंदा, मलिन और प्रदूषित हो गया है कि उसे कंठ से लगाने में दस बार सोचना पड़ता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी में प्रदूषण पर गहरी नाराजगी जताई है। एनजीटी ने कहा कि उत्तराखंड में हरिद्वार और उन्नाव के बीच गंगा का पानी पीने ही नहीं, नहाने के लायक भी नहीं है।

एनजीटी ने कहा कि भक्ति से भरे मासूम लोग गंगा नदी में बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ डुबकी लगाते हैं और पानी पीते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसका उनकी सेहत पर कितना बुरा असर हो सकता है। एनजीटी ने कहा कि सिगरेट के पैकेटों पर चेतावनी लिखी होती है कि इसे पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी तरह, गंगा के पानी के सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में भी क्यों न चेतावनी लिखी जाए।

एनजीटी के चेयरमेन जस्टिस ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, गंगा के पानी का इस्तेमाल करते समय लोगों के जीने का अधिकार का पालन करना अत्यन्त जरूरी है। उन्हें नोटिस बोर्ड लगाकर बताया जाना चाहिए कि गंगा के पानी की स्थिति क्या है।

एनजीटी ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को निर्देश दिया कि वह गंगा किनारे हर सौ किमी. पर बोर्ड लगाकर बताए कि यहां का पानी पीने या नहाने के लायक है या नहीं। एनजीटी ने मिशन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी कहा कि वे वेबसाइट पर दो सप्ताह में गंगा नदी का नक्शा अपलोड कर दर्शाएं कि कहां पर पानी नहाने और पीने योग्य है।

19 जुलाई 2018 को एनजीटी ने गंगा सफाई पर असंतोष जताते हुए कहा

था कि अभी तक इसे साफ करने के लिए शायद ही कोई प्रभावी कदम उठाया गया हो। एनजीटी ने कहा था कि स्थिति असाधारण तौर पर खराब हो गई है। गंगा का पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं तथा उन्हें पेट संबंधी कई संक्रमणों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा में स्नान करने से तरह-तरह के चर्मरोग होने लगे हैं। यही कारण है कि अब इसका पानी किसी काम का नहीं रह गया है।

आजादी के बाद से लेकर अब तक गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने की अनेक योजनाएं बनीं, जिन पर खरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन क्या गंगा स्वच्छ है? 'नमामि गंगे' के तहत अब तक 195 योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से मात्र 24 परियोजनाएं पूर्ण हुईं। 'नमामि गंगे' योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। जितना ध्यान इसके प्रचार पर दिया, अगर वह सफाई पर दिया जाता, तो परिणाम कुछ और होते।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा कि हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा की सफाई के लिए बेहद कड़ी निगरानी और व्यवस्थित रुख अपनाने की जरूरत है। ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की, जो गंगा सफाई के कार्यों की निगरानी करेगी।

एनजीटी चेयरमेन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस जावेद रहीम और जस्टिस एसपी बांगड़ी की पीठ ने कहा कि गंगा सफाई का काम बहुत बड़ा है और इस दिशा में अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए ऐसे विशेषज्ञ लोगों की जरूरत है, जो अपना पूरा समय दे सकें। पीठ ने कहा, कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रगति उम्मीदों पर खरी उतरती है। एनजीटी द्वारा गठित समिति में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का मनोयन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। जबकि समिति में एक प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एक प्रतिनिधि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से होगा। समिति को एक माह में कामकाज शुरू कर देने और हर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। समिति के साथ संयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) नोडल एजेंसी होगी। एनजीटी ने एनएमसीजी को अन्य प्राधिकारियों के साथ भी समन्वय करने का निर्देश दिया है ताकि गंगा के उन्नाव से पश्चिम बंगाल तक के हिस्से के लिए चार महीने में कार्ययोजना तैयार की जा सके।

गंगा की सफाई पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगाजल पीने लायक नहीं है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ऑनलाईन चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि किन शहरों में गंगाजल पीने लायक है और किन शहरों में नहीं।

सीपीसीबी ने अपने वेबसाइट पर एक मानचित्र प्रकाशित कर उन स्थानों को चिन्हित किया है, जहां गंगा जल पीने और नहाने योग्य है। सीपीसीबी के अनुसार, उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक लगभग सभी प्रमुख शहरों में गंगाजल पीने योग्य है। यहां गंगोत्री, रूद्रप्रयाग, देवप्रयाग,. ऋषिकेश, हरिद्वार और रूडकी में गंगाजल पेयजल के मानदंडों पर खरा उतरता है। हालांकि ये मानक पूरे होने के बावजूद यहां पानी को छानकर तथा स्वच्छ करके पीना चाहिए। सीपीसीबी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बिजनौर और गढ़मुक्तेश्र में दो स्थानों को छोड़कर पूरे प्रदेश में गंगाजल पीने योग्य नहीं है। अनूपशहर में गंगा जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) निर्धारित मानकों से अधिक है जबकि नरौरा में बीओडी के साथ-साथ पीएच वैल्यू भी अधिक है। इसी तरह अलीगढ़ के कछलाघाट पर भी पीएच वैल्यू निर्धारित मात्रा से अधिक है। कन्नौज में गंगानदी में आक्सीजन की मात्रा काफी कम है जबकि बीओडी का स्तर अत्यधिक है। यही हाल बिठूर, कानपुर, शुक्लागंज, गोलाघाट, जाजमऊ, बिरसा, डलमऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, बक्सर, पटना, फतुहा, बाढ, मुंगेर, सुल्तानगंज, कहलगांव, राजमहल तथा उससे आगे बंगाल में है। आश्चर्य की बात यह है कि सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा के निकट आरा-छपरा रोड़ ब्रिज के समीप गंगाजल को पेयजल के मापदंडों पर खरा करार दिया है। सीपीसीबी के अनुसार, कानपुर से आगे गंगाजल में टोटल कॉलीफार्म की मात्रा काफी अधिक है। गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती का कहना है अधिकांश जगहों पर गंगाजल आचमन योग्य नहीं होना, गंगा की सफाई के लिए किए गए प्रयासों पर सवाल खड़े करता है। गंगा के हाल में सुधार होने के बजाय स्थिति खराब होती जा रही है। यह दुखद है। हालांकि सीपीसीबी के पूर्व अतिरिक्त निदेशक दीपांकर साहा का कहना है कि पूरी गंगा का पानी खराब नहीं है। सिर्फ उन शहरों में पानी की गुणवत्ता खराब है जहां प्रवाह कम है और प्रदूषण काफी अधिक है। सीपीसीबी ने जो चेतावनी जारी की है, उससे लोगों को जानकारी मिलेगी जिससे उन्हें लाभ मिलेगा।

जीवनदायिनी गंगा नदी की संरक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार अब सशस्त्र बल का सहारा ले सकती है। गंगा की संरक्षा के विधेयक के मसौदे के मुताबिक, इस पावन नदी को किसी भी तरह से प्रदूषित करने वालों को दंड मिलेगा। ऐसा अपराध करने वालों को रोकने के लिए जिम्मेदार सशस्त्र बल उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज सकेगा। नदी के विस्तार को प्रभावित करने वाले अवैध निर्माण से लेकर व्यापारिक रूप से मछली पकड़ने के लिए भी जुर्माने और जेल का प्रावधान होगा।

परामर्श के लिए विधेयक के मसौदे को विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया है। मसौदे में राष्ट्रीय गंगा परिषद और राष्ट्रीय गंगा पुनर्जीवन प्राधिकरण बनाने की भी योजना है।

इस विधेयक में व्यापार के लिए शोधित या अशोधित सीवेज नदी में छोड़ने, नदी के प्रवाह को रोकने तथा मोड़ने के लिए कोई बाधा डालने, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पास से औद्योगिक या व्यापारिक इस्तेमाल के लिए भूमिगत जल के उपयोग, नदी में जल-कृषि (एक्वाकल्चर) करने, व्यापारिक तौर पर मछली पकड़ने, नदी को किसी भी स्तर पर प्रदूषित करने और नदी के विस्तार क्षेत्र में अवैध निर्माण करने को संज्ञेय अपराध माना गया है। इसके लिए दो से पांच साल तक की कैद की सजा का भी प्रावधान है। अधिकारियों के अनुसार, सशस्त्र गंगा संरक्षा कोर (जीपीसी) के जवानों को नदी को प्रदूषित करने वालों, गंगा के विस्तार

प्रदूषण के कारण अधिकतर स्थानों पर गंगा जल पीने योग्य नहीं है।

एनजीटी चेयरमेन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस जावेद रहीम और जस्टिस एसपी बांगड़ी की पीठ ने कहा कि गंगा सफाई का काम बहुत बड़ा है और इस दिशा में अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए ऐसे विशेषज्ञ लोगों की जरूरत है, जो अपना पूरा समय दे सकें। पीठ ने कहा, कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रगति उम्मीदों पर खरी उतरती है।

क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों और नदी में व्यापारिक रूप से मछली पकड़ने वालों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होगा।

मसौदा विधेयक के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय सशस्त्र जीपीसी को खास गंगा के लिए बनाएगा और राष्ट्रीय गंगा पुनर्जीवन प्राधिकरण जीपीसी के अफसरों की नियुक्ति करेगा। मसौदे में यह भी कहा गया है कि 2500 किलोमीटर लंबी नदी की सुरक्षा और बहाली के लिए मौजूदा पर्यावरण संबंधी कानून नाकाफी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस गिरधर मालवीय के नेतृत्व में बनी एक समिति ने वर्ष 2016 में एक विधेयक 'राष्ट्रीय गंगा नदी (पुनर्जीवन, संरक्षा और प्रबंधन) विधेयक, 2017' का मसौदा सरकार को सौंपा है। इसके बाद इस मसौदे को परखने के लिए सरकार ने एक चार सदस्यीय समिति गठित की। उसके बाद मंत्रालय ने एक केबिनेट नोट के साथ इस मसौदा बिल में कुछ संशोधन भी किए हैं।

ग्यारह राज्यों से गुजरने वाली देश की सबसे लंबी नदी गंगा भारतीय सभ्यता और भारतीयों के अस्तित्व के लिए प्राण नदी है । देश की 40 फीसदी आबादी इस प्राचीन नदी पर ही आश्रित है।

उधर, उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने तीर्थनगरी हरिद्वार में सभी गंगा घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

देश की जीवनदायिनी नदी गंगा की सफाई के लिए जर्मनी ने भारत को 12 करोड़ यूरो (करीब 990 करोड़ रूपए)

ग्यारह राज्यों से गुजरने वाली गंगा भारतीय सभ्यता और भारतीयों के अस्तित्व के लिए प्राण नदी है।

का साफ्ट लोन (कम ब्याज पर कर्ज) दिया है। ताकि उत्तराखंड में सीवरेज वॉटर ट्रीटमेंट के आधारभूत ढांचे को और सशक्त बनाया जा सके। जर्मनी के दूतावास के अधिकारी जेस्पर वेक ने यह जानकारी दी है।

वेक के अनुसार, जर्मन दूतावास की ओर से इस दिशा में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस परियोजना का फोकस 360 किलोमीटर के दायरे में सीवरेज प्रणाली के विस्तार और बदलाव का होगा। सीवरेज प्रणाली को प्रत्येक घर से जोड़ा जाएगा। इससे प्रतिदिन 1.5 करोड़ लीटर की क्षमता वाले कई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। जर्मनी की इस पहल में 13 सीवेज पम्पिंग स्टेशन बनाना भी शामिल है। इस परियोजना का मकसद गंगा नदी में बिना शोधित जल को गिरने से रोकना है। ताकि नदी जल की गुणवत्ता में सुधार हो।

2015 में जर्मनी की सरकार ने भारत को जर्मन डेवलपमेंट बैंक के जरिए 12 करोड़ यूरो के वित्तीय निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। जर्मनी की विकास एजेंसी ने गंगा बाक्स भी तैयार किया है। इसका मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों को नदी के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना है। जीआईजेड के साथ प्रोजेक्ट संयोजक विक्रांत त्यागी के अनुसार, यूरोपीय नदी के दुनाबे बुक की तर्ज पर गंगा बुक तैयार की जाएगी।

गंगा को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा हाथ जनमानस का ही है। हम अपनी आस्था के चलते शवों को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। यही नहीं, शवदाह के पश्चात उसकी अस्थियां और राख भी उसमें प्रवाहित करते हैं। देश में हर दिन हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है और उनके अवशेष नदी में छोड़ दिए जाते हैं। चूंकि बात धर्म और आस्था से जुड़ी है, इसलिए इस पर रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। जो कोई इस पर रोक लगाने की बात करता है, उसे लोग अधार्मिक या नास्तिक करार देकर उसके विरोध में उतर आते हैं। सरकार भी इस वजह से जनसाधारण से पंगा नहीं लेना चाहती।

इंसान के शव के अलावा अन्य पशुओं के शव भी गंगा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। जलीय जीव जंतुओं के शव तो उसमें होते ही हैं। शव चाहे वह किसी भी जीव के हों, पानी को प्रदूषित करते ही हैं।

गंगा किनारे लगे उद्योगों की गंदगी और अनुपयोगी पानी सीधे उसमें जाकर उसे प्रदूषित कर रहा है। ऐसे एक दो नहीं, लाखों उद्योग हैं। यही नहीं, नए उद्योगों की भी अनुमति दी जा रही है। कैसी विडम्बना है कि हमें औद्योगिक विकास की तो चिंता है लेकिन देश की धड़कन गंगा के प्रदूषण की नहीं।

देशभर में छोटी नदियां, नाले जो कि गंगा में जाकर समाहित हो जाते हैं, अपने साथ प्रदूषित सामग्री को बहा लाते हैं जो कि गंगा को भी प्रदूषित कर देते हैं। इसमें प्लास्टिक का कचरा तो होता ही है, अन्य हानिकारक अथवा घातक सामग्रियां भी होती हैं जो कि गंगा के जल को मलिन करता है।

भले ही गंगा की सफाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें कटिबद्ध हों और इसके लिए अभियान भी चला रही हों, लेकिन जब तक लोगों में चेतना जागृत नहीं होगी, सफाई अभियान की सफलता संदिग्ध ही रहेगी। क्योंकि जितनी गंदगी हटाई जा रही है, उससे कहीं अधिक नई गंदगी उसमें मिल रही है। जब तक गंगा में गंदगी को जाने से रोका नहीं जाएगा, वह साफ, स्वच्छ और पवित्र कैसे होगी?

संपर्क करें:
डॉ. अनुभा गुप्ता
43/2, सुदामानगर, रामटेकरी
मन्दसौर, म.प्र. -458 001
मो.9826042811
ईमेलः
anucomputer@rediffmail.com